न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

ना–पत्र संख्या :–10 / 2024 दायर दिनांक–09.07.2024
AMS NO:- 2024/130 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

मानसिंह आ0 रघुनाथसिंह जाति राजपूत नि0 ताकला हाल नि0 जनता कॉलोनी प्रेम नगर नैनवॉ रोड वार्ड नम्बर 35 बून्दी।

प्रार्थी

बनाम

गजराज सिंह आ0 लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत नि0 ताकला तहसील नैनवॉ वगै0 (कुल 4)

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 111, 128 एल आर एक्ट

उपस्थितिः–
प्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री विमल कुमार साहू।
अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री जयसिंह आशावत।

निर्णय दिनांक 11.06.2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम ताकला प0म0 खोढी मे खसरा नम्बर 271, 272, 274, 281 कुल किता 4 कुल रकबा 2.3785 हैक्टयर भूमि स्थित है जो प्रार्थी के खातेदारी आधिपत्य एवं कब्जे काश्त की भूमि है। उक्त संपूर्ण भूमि आस पास ही स्थित है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि की पत्थरगढी नही हो रही है। उक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 23.6.2023 को पटवारी हल्का द्वारा किया गया था लेकिन पत्थरगढी नही होने से आप पडौस प्रत्यार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 से विवाद हो रहा है। दिनांक 30.5.2024 को जब प्रार्थी अपनी उक्त भूमियों की हकाई जताई करने गया तो प्रत्यार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 हाथों मे लकडियां लेकर आ गये तथा प्रार्थी को जान से मारने की धमकियां देने लगे। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र, नकल जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस और दिनांक 23.6.2023 को हुए सीमाज्ञान के मौका पर्चा की प्रति पेश कर धारा 111, 128 एलआर एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

हमने पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थना पत्र को चलते लगभग एक वर्ष का समय होने वाला है जबकि यह एक समरी ट्रायल प्रार्थना पत्र है तथा प्रार्थी की भूमि का सीमाज्ञान भी होना पाया गया है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवॉ को इस आशय के साथ आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम ताकला प0म0 खोढी मे खसरा नम्बर 271, 272, 274, 281 कुल किता 4 कुल रकबा 2.3785 हैक्टयर भूमि पर प्रार्थी का यदि संपूर्ण हिस्से पर कब्जा पाया जाता है तो नायब तहसीलदार अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी की टीम गठित कर व आवश्यक हो तो पुलिस इमदाद प्राप्त कर 500/– रूपये अक्षरे पांच सो रूपये शुल्क राजकोष में जमा कराने पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 11.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैंनवा